उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
संख्याः चार–5041–2011 (अंशदायी पेंशन योजना), दिनांकः अक्टूबर 04 . 2012

सेवा में,
1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।
2–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

विषयः उ0प्र0 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (दिनांक 1–4–2005 अथवा इसके बाद भर्ती) के कियान्वयन हेतु कर्मचारियों को परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउण्ट नम्बर (पी0आर0ए0एन0) आवंटन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के परिक्षेत्र संख्याः चार–5041–2011 (अंशदायी पेंशन योजना), दिनांक 22.12.2011 एवं समसंख्यक अनुस्मारक दिनांक 5.1.2011, 2.2.2012, 19.2.2012, 4.4.2012, 16.5.2012, 28.6.2012 एवं 23–7–2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 15.09.2011 में निहित निर्देशानुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त राजकीय कर्मचारियों पर लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कियान्वयन हेतु कतिपय दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– उपर्युक्त सन्दर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों का निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र भरकर अपने आहरण–वितरण के कोषागार के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 (नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड) को परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउण्ट नम्बर (पी0आर0ए0एन0) आवंटित करने हेतु भेजवाकर कियान्वयन आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गई है। प्रकरण में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्याः डीजी–चार–105 (02)2012, दिनांक 15.02.2012 , द्वारा निर्देश निर्गत किये जाने के उपरान्त भी अधिसंख्य जनपद/पीएसी वाहिनियों द्वारा अपने जनपद/पीएसी वाहिनियों द्वारा अपने जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मियों का परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर आवंटित कराने विषयक सूचना अब तक उपलब्ध नही करायी गयी है।

3– उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण में आज दिनांक –4.10.2012 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा टेलिफोन वार्ता पर निदेशित किया गया है कि दिनांक 30.10.2012 तक समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि उनके जनपद/इकाई में दिनांक 1.04.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त समस्त कर्मियों को नई अंशदायनी पेंशन योजना के अन्तर्गत परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउन्टर नम्बर आवंटित कराने विषयक फार्म भराकर सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

4– अतः अनुरोध है कि कृपया एक अभियान चलाकर दिनांक 1.04.2005 अथवा उसके बाद भर्ती पुलिस कर्मियों का निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र भराकर अपने आहरण–वितरण के कोषागार के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 (नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड) को परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउण्ट नम्बर (पी0आर0ए0एन0) आवंटित करने हेतु भेजवाना सुनिश्चित करें एवं पुलिस मुख्यालय को वाँछित प्रमाण–पत्र सहित सूचना निम्न प्रारुप में दिनांक 30.10.2012 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

दि0 01.04.2005 एवं इसके पश्चात् भर्ती/नियुक्त कर्मियों की संख्या	परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउण्ट नम्बर आवंटन हेतु कोषागार को प्रेषित नामांकन की संख्या	शेष	परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउण्टर नम्बर आवंटन हेतु अब तक नामांकन न भेजने का कारण

ह0/–
(डा0 सूर्य कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 इलाहाबाद।

सख्या व दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के स्तर से भी सम्बनिधत को आवश्यक निर्देश पुनः भेजवाने का कष्ट करें।

2— निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, आठवॉ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग लखनऊ।

3— प्रभारी, आई0टी0सेल, पुलिस मुख्यालय, को ई0मेल द्वारा भेजने हेतु।